आवश्यक

संख्या:70/2020/396 मु0स0/12-2-2020

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2020

विषय: सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' पर उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं में ऑफलाइन आवेदन/प्रोसेसिंग को कड़ाई से प्रतिबंधित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-3914/77-6-20-08(एम)/2012 टी0सी0 8(कैबिनेट), दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' को प्रदेश में दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2018 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए सभी संबंधित विभागों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से केवल सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' के माध्यम से ही समस्त औद्योगिक स्वीकृति, अनापत्ति, अनुमति इत्यादि के आवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए।

2. इस सम्बन्ध में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को की गयी जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि जो सेवाएं ऑन लाइन उपलब्ध करा दी गयी है अथवा भविष्य में हो जाती है, उनके लिए ऑफ लाइन आवेदन लिया जाना बिना किसी अपवाद के प्रतिबंधित होगा और यदि कोई विभागीय अधिकारी ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार करता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

3. उल्लेखनीय है कि निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं के लिए आफलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की आफलाइन प्रोसेसिंग करने को प्रतिबंधित करने के सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट निर्देश होने के पश्चात भी विभिन्न स्रोतों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कि अभी भी कतिपय विभागों द्वारा जिन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है उनके लिए आफलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं तथा कुछ मामलों में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में आवेदक से अभिलेखों की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करने के लिए कहा जा रहा है अथवा आवेदक को कार्यालयों में आने के लिए विवश किया जा रहा है। यह प्रक्रिया स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4. प्रदेश में ईज आफ डूईंग बिजनेस में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार इस बात के लिए बचनबद्ध है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए और उपलब्ध करायी गयी ऑनलाइन सेवाओं के लिए किसी भी दशा में न तो ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किया जाए और न ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों से अभिलेखों की हार्ड कॉपी देने अथवा उनसे कार्यालय में सम्पर्क करने के लिए बुलाया जाए।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो भी सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती हैं उनके स्टेबिलाईजेशन के लिए अधिकतम 03 माह का समय प्रदान किया जाए और 03 माह की अवधि बीतने के बाद किसी भी दशा में न तो कोई आफलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और न ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए आवेदकों को हार्डकापी देने के लिए विवश किया जाएगा और न ही उन्हे किसी भी अन्य कारण से कार्यालय में बुलाया जाएगा। इन निर्देशों के अनुपालन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाए और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:70/2020/396(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
2. इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।